# राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या– 473/2009/जयपुर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
उडनदस्ता, राज.–I, जयपुर
**हाल–सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,**
**वार्ड–I, प्रतिकरापवंचन,राज.,वृत–I,जयपुर** .....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स ईस्ट इण्डिया ट्रांसपोर्ट ऐजेन्सी,
जयपुर। .....प्रत्यर्थी

**एकलपीठ**
**श्री खेमराज, अध्यक्ष**

**उपस्थित : :**
श्री एन.के.बैद,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी राजस्व की ओर से
प्रत्यर्थी बावजूद अखबार सूचना जरिये प्रकाशन के अनुपस्थित

**निर्णय दिनांक : 17/10/2016**

## निर्णय

1. अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), प्रथम वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 662/आरएसटी/एनआरडी/1997–98 में पारित आदेश दिनांक 15.07.2008 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, केन्द्रीय उडनदस्ता–प्रथम, मुख्यालय, जयपुर (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दि. 06.01.1996 के अन्तर्गत राजस्थान बिक्री कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 78(5) के तहत कायम शास्ति 2,76,357/– को अपास्त किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 15.12.1995 को सशक्त अधिकारी ने वाहन संख्या डीएल–1जीबी/0244 को चेक किया गया। चालक/मालप्रभारी से वाहन में परिवहनित माल '128 बोरी सुपारी' से संबंधित परिवहनित माल से संबंधित दस्तावेज मांगने पर उनके द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन पर पाया कि परिवहनित माल के दस्तावेज राज्य के बाहर सिमोगा, कर्नाटक से राज्य से बाहर दिल्ली से संबंधित थे। प्रस्तुत दस्तावेज प्रथम दृष्टया संदेहास्पद होने के आधार पर सशक्त अधिकारी ने नोटिस जारी किया गया, नोटिस की पालना में श्री राजेश नाहटा, इन्चार्ज मैसर्स ईस्ट इंडिया ट्रांसपोर्ट एजेन्सी, जयपुर की ओर से उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया गया, प्रस्तुत जवाब से असहमत होते हुए सशक्त अधिकारी द्वारा व्यवसाई को मिथ्या दस्तावेजों के जरिये कर चोरी की नियत से माल परिवहनित करने का दोषी मानकर, परिवहनित माल कीमतन रू0 9,21,190/– पर धारा 78(5) के तहत् शास्ति रू0 2,76,357/– का आरोपण आदेश दिनांक 06.01.1996 से किया गया। उक्त आदेश के

लगातार.....2

विरूद्ध प्रत्यर्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 15.07.2008 द्वारा अपील को स्वीकार करते हुए अधिनियम की धारा 78(5) के तहत् आरोपित शास्ति को अपास्त कर दिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी विभाग द्वारा यह अपील राजस्थान कर बोर्ड में अधिनियम की धारा 83 के तहत् प्रस्तुत की गयी है।

3. प्रत्यर्थी बावजूद सूचना जरिये अखबार प्रकाशन के अनुपस्थित रहा, अतः राजस्व पक्ष की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी–विभाग के विद्वान उप–राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध है एवं सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए उन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. हस्तगत प्रकरण में सशक्त अधिकारी के आदेश दिनांक 06.01.1996 के अनुसार दिनांक 15.12.1995 को वाहन की चैकिंग की जाने पर वाहन चालक द्वारा माल से सम्बन्धित चालान संख्या IND/3876/95 दिनांक 14.12.95; जी.आर. नं0 2281449 दिनांक 09.12.1995; मैसर्स एन.आर. हलागप्पा एण्ड सन्स, सिमोगा (कर्नाटक) द्वारा जारी बिल संख्या 9994 दिनांक 09.12.95 एवं कर्नाटक राज्य का प्रपत्र–39 पेश किये गये। उक्त दस्तावेजों के अनुसार माल का गमनागमन कर्नाटक से दिल्ली के लिये किया जा रहा था। सशक्त अधिकारी ने प्रेषिति फर्म के अस्तित्व की जांच बाबत वाणिज्यिक कर निरीक्षक को दिल्ली भिजवाया गया, जिनके अनुसार प्रेषिति फर्म दिल्ली राज्य में पंजीकृत नहीं पायी गयी। अतः सशक्त अधिकारी ने प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा मिथ्या दस्तावेजों एवं घोषणा से माल का गमनागमन किया जाना अवधारित करते हुए अधिनियम की धारा 78(5) के तहत शास्ति रूपये 2,76,357/– का आरोपण किया गया।

6. इस सम्बन्ध में सशक्त अधिकारी की पत्रावली का अवलोकन किया गया। सशक्त अधिकारी की पत्रावली में वक्त जांच प्रस्तुत किये गये दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं। वाणिज्यिक कर निरीक्षक द्वारा दी गयी रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है। परिवहनित माल के राजस्थान राज्य में उतारे जाने बाबत कोई जांच रिपोर्ट नहीं है। ऐसी स्थिति में रेकॉर्ड के अभाव में सशक्त अधिकारी के शास्ति आदेश की पुष्टि किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। साथ ही अपीलीय अधिकारी द्वारा शास्ति आदेश को जांच के अभाव में अपास्त किया जाना भी न्यायोचित नहीं माना जा सकता।

7. उपरोक्त विवेचन के मद्देनजर, प्रकरण सशक्त अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण से सम्बन्धित समस्त रेकॉर्ड एवं प्रकरण में की गयी समस्त जांच को पत्रावली पर लेते हुए तथा प्रत्यर्थी व्यवहारी को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त विधिसम्मत आदेश पुनः पारित करें।

लगातार.....3

8. परिणामस्वरूप, अपीलार्थी राजस्व की अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए, अपीलीय आदेश दिनांक 15.07.2008 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को उपरोक्त निर्देशानुसार प्रतिप्रेषित किया जाता है तथा साथ ही प्रत्यर्थी व्यवहारी को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 19/12/2016 को कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष वांछित दस्तावेज सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

9. आदेश प्रसारित किया गया।

( खेमराज )
अध्यक्ष